

अप्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता

दांडिक अपील क्रमांक 14 / 2019

[विशेष अनुमति याचिका (अपराधिक) क्रमांक 5632 / 2014 से उद्भूत]

मध्यप्रदेश शासन

अपीलार्थी

विरुद्ध

कल्याण सिंह एवं अन्य

प्रत्यर्धीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री एम आर शाह

अनुमति प्रदान की गई ।

1 यह अपील मध्यप्रदेश शासन ने, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 6075 / 2013 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29/07/2018, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने वर्तमान प्रत्यर्धी के विरुद्ध पुलिस थाना महाराजपुर, जिला ग्वालियर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 23 / 2013, भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं सहपठित धारा 34 के अधीन लंबित आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित किया है, से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है ।

2 यह कि किसी बीरबल शर्मा, मूल परिवादी जो कि यहाँ प्रत्यर्धी क्रमांक 5 है ने, मूल अभियुक्तगणों जो कि यहाँ प्रत्यर्धी क्रमांक 1 से 4 हैं, के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं सहपठित धारा 34 के अधीन के अपराध के लिये परिवाद दायर किया था । यह कि उक्त परिवाद पुलिस थाना महाराजपुर जिला ग्वालियर में अपराध क्रमांक 23 /2013 के रूप में दर्ज किया गया । ऐसा प्रतीत होता है कि मूल अभियुक्त ने जमानत के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था जो विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और, तत्पश्चात्, मूल अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन विविध याचिका प्रकरण क्रमांक 6075 / 2013 प्रस्तुत करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष गया और दांडिक कार्यवाही को इस आधार पर अभिखण्डित करने की प्रार्थना की कि अभियुक्त एवं मूल परिवादी ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से

सुलझा लिया है । यह कि मूल परिवादी ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसने कहा था कि उसने अपराध की विषय वस्तु को मूल अभियुक्त के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और दांडिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है । यह कि, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा मूल अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं सहपठित धारा 34 की थीं, मात्र इस एक आधार पर अभिखंडित किया कि मूल परिवादी एवं अभियुक्त ने विवाद को सुलझा लिया है एवं मूल परिवादी अभियुक्त को अभियोजित करना नहीं चाहता एवं, अतः, अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दोषसिद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राज्य द्वारा उक्त आवेदन का यह समीक्षा करते हुए विरोध किया गया था कि अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित अपराध अशमनीय हैं एवं, अतः परिवाद को अभिखंडित नहीं किया जा सकता भले ही परिवादी और अभियुक्त के मध्य कोई सुलह हो गई है । हालांकि, उपरोक्त के बावजूद उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्त के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही इस आधार पर अभिखंडित की कि परिवादी और मूल अभियुक्त के मध्य सुलह हो गई है और मूल परिवादी अभियुक्त को आगे अभियोजित करना नहीं चाहता ।

2.1 भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत अपराधों के लिये अभियुक्त के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर मध्यप्रदेश शासन ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3. हमने मध्यप्रदेश शासन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी को एवं मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालनी पोडूवाल को सुना एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपित निर्णय एवं आदेश का परिशीलन किया ।

3.1 यह ध्यान देना आवश्यक है कि मूल अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत दांडिक प्रक्रियाओं का सामना कर रहा था । विवाद यह नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत अपराध अशमनीय है । यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि परिवाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत लगे आरोप, जैसा कि, अत्यन्त गम्भीर हैं । यह अभिकथित है कि अभियुक्त ने परिवादी पर देशी कट्टे से दो बार फायरिंग की । अभिलेख में आई सामग्री से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तों में से एक अभियुक्त कट्टर अपराधी के रूप में सूचित किया गया था जिसका आपराधिक इतिहास रहा है । चाहे जो हो, तथ्य यह है कि अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा था और यह कि

इन धाराओं के अधीन अपराध अशमनीय अपराध है और, अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर आरोपों को देखते हुए, हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत अपराधों की आपराधिक कार्यवाही को मात्र इस आधार पर अभिखंडित करने में गम्भीर त्रुटि कारित की है कि मूल परिवादी एवं अभियुक्त ने विवाद को सुलझा लिया है । इस स्तर पर गुलाब दास एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन (2011) 12 SCALE 625 में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित किया जाना आवश्यक है । उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह कहा है व अभिनिर्धारित किया है कि, एक ओर परिवादी तथा दूसरी ओर अभियुक्त के मध्य किसी भी सुलह के होते हुए भी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराधों के लिये आपराधिक कार्यवाही अभिखंडित नहीं की जा सकती क्योंकि धारा 307 के अधीन अपराध एक अशमनीय अपराध है । इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा जारी, मूल अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत अपराध के लिये आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित करने वाले आक्षेपित निर्णय को यथावत नहीं रखा जा सकता और अभिखंडित एवं अपास्त किये जाने योग्य है ।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एवं उपरोक्त कारणों से, यह अपील स्वीकार की जाती है । उच्च न्यायालय द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 6075 / 2013 में जारी आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को एतद्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है । परिणामस्वरूप, पुलिस थाना महाराजपुर, जिला ग्वालियर में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत अपराधों की आपराधिक कार्यवाही जिसका अपराध क्रमांक 23 / 2013 है, पर उसके गुण दोषों के आधार पर एवं विधि के अनुरूप कार्यवाही की जाये ।

.....J

डी. वाय. चन्द्रचूड़

.....J

एम. आर. शाह

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

